न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना—पत्र संख्या : 46 / 2025
निर्णय दिनांक : 19.05.2025
GCMS NO : 2025/95

विनोद कँवर पुत्री बुलसिंह पत्नी महावीर सिंह जाति राजपूत निवासीनी ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू(राज.) ....प्रार्थीनी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू ....अप्रार्थी

प्रा. पत्र बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

उपस्थित :—
1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री मोहनलाल बिस्सु एड. उपस्थित।
2. अप्रार्थी पेरोकार राज उपस्थित।

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना—पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थीनी के संयुक्त खातेदारी, कब्जा, काश्त, उपयोग—उपभोग के खेत खाता संख्या 437 के खसरा संख्या 848 तादादी 0.9610 हैक्टेयर, खाता संख्या 438 के खसरा संख्या 876 तादादी 13.1761 हैक्टेयर व खाता संख्या 688 के खसरा संख्या 860 तादादी 2.7819 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू स्थित है। जिसे प्रार्थना—पत्र में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया गया है।

प्रार्थीनी ने प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया कि वादगत भूमि में प्रार्थीनी का नाम लाला कंवर पुत्री बुलसिंह दर्ज है जो कि गलत है। उक्त खातेदारी में प्रार्थीनी का वास्तविक व सही नाम विनोद कँवर पुत्री बुलसिंह है।

प्रार्थीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थीनी को मिलने वाले सरकारी लाभांश आदि का फायदा नहीं मिल पा रहा है इसलिए प्रार्थीनी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सुजानगढ़ को संशोधन करने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करावें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत खेत रोही ग्राम गोपालपुरा में प्रार्थीनी का नाम लालाकंवर पुत्री बुलसिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थीनी के दस्तावेजों में का नाम विनोदकंवर पुत्री बुलसिंह दर्ज है। विनोदकंवर व लालाकंवर दोनों एक ही व्यक्ति है अलग–अलग नहीं है। अतः वादगत भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीनी नाम विनोदकंवर पुत्री बुलसिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्वाचन विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र की छायाप्रति, ई–श्रम कार्ड की छायाप्रति, जनाधार कार्ड की छायाप्रति आदि के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीनी का सही तथा वास्तविक नाम विनोदकंवर पुत्री बुलसिंह ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीनी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि के खेत खाता संख्या 437 के खसरा संख्या 848 तादादी 0.9610 हैक्टेयर, खाता संख्या 438 के खसरा संख्या 876 तादादी 13.1761 हैक्टेयर व खाता संख्या 688 के खसरा संख्या 860 तादादी 2.7819 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम गोपालपुरा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में दर्ज प्रार्थीनी का नाम लालाकंवर पुत्री बुलसिंह के स्थान पर विनोदकंवर पुत्री बुलसिंह दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19 .05.2025 को सर इजलास सुनाया जाकर मुद्राकिंत एवं हस्ताक्षरित किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला–चूरू

उप खण्ड अधिकारी
ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)